

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक— 30/8/2016

संख्या—1/ श्रम विंस्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 151 / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 11109, दिनांक 12.08.16 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 369A सह पठित ज्ञापांक—53289—53305, दिनांक 20.08.16 के आलोक में श्री प्रभु नाथ प्रसाद, सब जज—।—सह—ए०सी०जे.एम०, गोपालगंज को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा—7(2) के साथ पठित धारा—8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, भागलपुर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

संख्या—1/ श्रम विंस्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 152 / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 11109, दिनांक 12.08.16 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं० 369A सह पठित ज्ञापांक—53289—53305, दिनांक 20.08.16 के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी, सी०जे०एम०, शेखपुरा को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा—7(2) के साथ पठित धारा—8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, बेगूसराय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भुवनेश्वर मिश्रा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—1/ श्रम विंस्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 152 / पटना, दिनांक 30/8/2016

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/ महालेखाकार, बिहार, पटना/ सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना/ मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ श्रमायुक्त बिहार, पटना/ निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/ निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/ मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/ मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना/ विधि विभाग, बिहार, पटना/ पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना/ पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर/ सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार/ सभी उप श्रमायुक्त, बिहार/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/ आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

30/8/16